बारूदी सुरंग प्रतिबंध संधि (Landmines Ban Treaty) सितम्बर 1997 में लगभग 90 देशों के प्रतिनिधियों में एटी पर्सनल बारूदी सुरंगों पर प्रतिबंध लगाने वाली संधि के प्रारूप को औपचारिक रूप से अपना लिया। इस संधि पर ओटावा में दिसम्बर में हस्ताक्षर होने थे। ओटावा में 3 दिसम्बर को निश्चित किए गए समारोह में 40 देशों द्वारा इस संधि पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दिए जाने के छ माह बाद यह संधि प्रभावी हो जानी थी।इस संधि का उद्देश्य बारूदी सुरंगों के उपयोग, बिक्री, भंडारण, परिवहन तथा उत्पादन पर प्रतिबंध लगाना है। इनकी परिभाषा ऐसी बारूदी सुरंगों के रूप में की गई है जो किसी व्यक्ति की उपस्थिति निकटता तथा संपर्क द्वारा विस्फोटित हो जाएं तथा एक या अधिक व्यक्तियों को विकलांग कर दें, घायल कर दें तथा मार डालें।"

इन बारूदी सुरंगों के तीन मुख्य उत्पादकों तथा उपयोगकर्ताओं चीन, भारत व रूस, जिनमें से किसी ने भी सम्मेलन में भाग नहीं लिया तथा दक्षिणी कोरिया से भी अपेक्षित है कि वे संगि से अलग रहेंगे जापान ने कहा कि वह संधि को लागू करने के संबंध में इसमें "अधिक लचकीलापन" चाहता है ताकि रक्षा की विशेष शरूरतों वाले देशों के बाद की किसी तिथि में इसमें शामिल होने के लिये समय दिया जा सके। अमरीका ने संधि के प्रारूप को ठुकरा दिया क्योंकि यह उसकी मांगों की पूर्ति नहीं करती थी। अमरीका ने संधि में अनेक महत्त्वपूर्ण परिवर्तनों की मांग की, जो उसके अनुसार अमरीकी सेनाओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। इसने जो शर्ते हटाने की मांग की है उनमें से एक शर्त है कि उत्तरी व दक्षिणी कोरिया के बीच सीमाओं के साथ बारूदी सुरंगें बिछाने की अनुमति दी जाए, दूसरी शर्त है कि टैंक रोधक तथा व्यक्ति रोचक बारूदी सुरंगों को रहने दिया जाए जो आगे चल कर स्वयं ही विस्फोटित हो जाएंगी तथा तीसरी शर्त है कि किसी भी देश को संधि के मुख्य तत्त्वों का पालन करने से पूर्व नौ वर्ष तक प्रतीक्षा करने का अधिकार दिया जाए। भारत सभी प्रकार की व्यक्ति रोधक बारूदी सुरंगों पर चरणबद्ध रूप से प्रतिबंध लगाने का समर्थक है। बड़ी संख्या में महत्वपूर्ण देशों द्वारा अभी इस संधि को स्वीकार किया जाना बाकी है।

33 परमाणु क्लब, 1998 का विस्तार (Expansion of Nuclear Club, 1998) मई, 1998 में परमाणु क्लब में सीधा विस्तार उस समय हुआ जब भारत में 11 तथा 13 मई को पाँच भूमिगत परमाणु परीक्षण करने के बाद स्वयं को परमाणु शस्त्र सम्पन्न देश घोषित कर दिया। इसके पश्चात् पाकिस्तान द्वारा भी छः परमाणु परीक्षण किए गए। इस घटना ने पाँच परमाणु शक्तियों का लगातार चला आ रहा परमाणु एकाधिकार भंग कर दिया। ये शक्तियाँ अपनी परमाणु शक्ति के दर्जे को स्थायी रखने तथा परमाणु क्लब का सीधा विस्तार होने से रोकने के लिए एन. पी. टी. (NPT) तथा सी.टी.बी.टी. (CTBT) जैसे माध्यमों द्वारा प्रयास कर रही थीं। इसने परमाणु निःशस्त्रीकरण के किसी सार्वभौमिक समयबद्ध कार्यक्रम की अनुपस्थिति में परमाणु प्रसार की संभावनाओं को उजागर किया है।

34 परमाणु निःशस्त्रीकरण पर प्रस्ताव (Resolution on Nuclear Disarmament) 8 दिसम्बर, 1998 को संयुक्त राष्ट्र महा सभा ने भारत द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव पास किया जिसमें यह मांग की गई कि परमाणु शस्त्रधारक देशों को अणु युद्ध की दुर्घटना के डर को रोकने के लिये आवश्यक कदम उठाने चाहिए तथा परमाणु प्रसार को रोक कर परमाणु निःशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना चाहिए ताकि विश्व में से परमाणु शस्त्रों की समाप्ति हो सके।

एक अन्य प्रस्ताव में सभी देशों को CTBT पर हस्ताक्षर करने तथा परमाणु परीक्षण न करने का आह्वान किया गया।

अन्य दो प्रस्तावों द्वारा यह भी मांग की गई कि विद्यमान परमाणु शस्त्रों तथा परमाणु शस्त्र छोड़ने की तकनीकों को विस्तृत करने के प्रोग्रामों को रोक देना चाहिए। परमाणु शस्त्रधारक देशों के पास सामरिक परमाणु शस्त्रों का एक भारी भण्डार मौजूद है। 1994 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार अमरीका के पास ऐसे 7900 शस्त्र, रूस के पास 9000, फ्रांस के पास 471, ब्रिटेन के पास 169 तथा चीन के पास 300 शस्त्र हैं। भारत भी अपने आपको परमाणु शस्त्रधारक देश घोषित कर चुका है तथा पाकिस्तान ने भी ऐसा ही कहा है।

मई 1998 के बाद किसी भी देश ने परमाणु परीक्षण नहीं किये हैं, लेकिन भारत तथा पाकिस्तान दोनों देशों ने अपने अपने मिसाइल कार्यक्रमों का विस्तार किया है। फिर जुलाई, 2002 में ABM सन्धि समाप्त हो गई और संयुक्त राज्य अमरीका ने अपना राष्ट्रीय मिसाइल सुरक्षा कार्यक्रम तेजी से आरम्भ कर दिया।

फरवरी 2003 में उत्तरी कोरिया ने अपने परमाणु शस्त्र कार्यक्रम को पुनः चालू कर लिया। इसका तीव्र विरोध, जापान,

दक्षिणी कोरिया तथा अमरीका ने किया उत्तरी कोरिया के इस निर्णय ने एक बार फिर परमाणु-प्रसार (Nuclear Proliferation)

के मुद्दे को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उभार दिया। जहां संयुक्त राज्य अमरीका ने महाविनाश के शस्त्रों की समाप्ति के सिद्धान्ता

पर इराक के विरुद्ध युद्ध किया वहां उत्तरी कोरिया के सम्बन्ध में इसने वार्तालाप आरम्भ करने की नीति को अपनाया।